

नामांकन के दिशानिर्देश

1. ऐसे नामांकन प्रपत्र जो अधूरे होंगे अथवा गलत जानकारीपूर्ण होंगे अथवा फाइनल मतदाता सूची के अनुसार नहीं होंगे या एसआरके एसोसिएशन के संविधान के अनुसार नहीं होंगे वे अस्वीकार्य होंगे;
2. एसआरके के सभी सदस्य एसआरके एसोसिएशन के पदों के लिए चुनाव लड़ने के पात्र हैं। हालांकि, अध्यक्ष और महासचिव के पदों के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए यह शर्त है कि विगत तीन कार्यकालों के दौरान वह उक्त पदधारी नहीं होना चाहिए;
3. यदि कोई सदस्य एक ही पद हेतु चुनाव लड़ने के इच्छुक एक से अधिक उम्मीदवारों के नामांकन का प्रस्ताव करता है और/अथवा समर्थन करता है, तो ऐसे सभी नामांकन अवैध माने जाएंगे और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी;
4. नामांकन प्रपत्र को तभी वैध माना जाएगा जब प्रपत्र में सभी वांछित जानकारियों को उचित स्थानों पर भरा गया हो तथा प्रस्तावक, समर्थक और प्रस्तावित उम्मीदवार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित किया गया हो और दिनांक का उल्लेख किया गया हो ;
5. कोई उम्मीदवार अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग नामांकन कर सकता है, परंतु उसे केवल एक ही पद हेतु चुनाव लड़ने की अनुमति मिलेगी। अन्यथा उनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा;
6. सभी प्रकार से पूर्ण नामांकन प्रपत्र सीलबंद लिफाफे में (उम्मीदवार के नाम, पद और तारीख का उल्लेख करते हुए) डीन, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संकाय के कार्यालय में दिनांक 12.07.2021 को सायं 04.00 बजे तक अथवा उससे पूर्व पहुंच जाना चाहिए;
7. यदि रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में प्राप्त वैध नामांकन (नामांकनों) की संख्या निर्वाचित होने वाली सीट के बराबर होगी तब ऐसे सभी उम्मीदवारों को उनके संबंधित पद (पदों) के लिए निर्वाचित घोषित किया जाएगा;
8. यदि वैध नामांकनों की संख्या उक्त जोन (संभाग) से निर्वाचित होने वाले पदों की संख्या से अधिक होगी तब चुनाव करवाया जाएगा।

उम्मीदवार के लिए निर्देश:

1. उम्मीदवारों/स्वयंसेवकों/मतदाताओं आदि को चुनाव की पूरी प्रक्रिया के दौरान कोविड महामारी को रोकने के उद्देश्य से कोविड संबंधी उपयुक्त व्यवहार (जैसे कि मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, नियमित रूप से हाथ धोना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना इत्यादि) का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए;
2. किसी भी व्यक्ति (उम्मीदवार/स्वयंसेवक/मतदाता इत्यादि) को बिना मास्क पहने मतदान परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी;
3. उम्मीदवार द्वारा किसी भी रूप में दिनांक 28.07.2021 को सायं 5:00 बजे के उपरांत परिसर के अंदर किसी भी प्रकार के प्रचार की अनुमति नहीं दी जाएगी और साथ ही मतदान के दिन अर्थात् दिनांक 29.07.2021 को भी किसी भी प्रकार के प्रचार की अनुमति होगी;
4. परिसर में बैनर/पोस्टर आदि का प्रदर्शन सख्त रूप से प्रतिबंधित (वर्जित) होगा;
5. चुनाव के दिन मतदान परिसर में उम्मीदवार की उपस्थिति की अनुमति नहीं होगी; सिवाय इसके कि वह उक्त तिथि को मतदान परिसर में जाकर अपना वोट डाल सकता/सकती है ;
6. क्रम संख्या 3 से 5 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन न करने की स्थिति में उम्मीदवार (उम्मीदवारों) की उम्मीदवारी की निरहर्ता हो जाएगी।

नोट: किसी भी परिस्थिति में सभी मामलों में रिटर्निंग ऑफिसर का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

उम्मीदवार द्वारा घोषणा

मैंने उपर्युक्त दिशानिर्देशों एवं निर्देशों को पढ़ और समझ लिया है तथा मैं उनका पालन करूंगा। मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि इस नामांकन प्रपत्र में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर: _____

उम्मीदवार का नाम: _____ दिनांक: _____